न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 02/2015

राजस्थान सरकार जरिये प्रर्वतन अधिकारी ....प्रार्थी....

बनाम

1– श्री धर्मवीर कोठारी एफ.पी.एस. डीलर उ.मू.दू.सं. 35 किशनगढ शहर नि0 पिन्हारी चौक सरवाडी गेट के पास मदनंगंज किशनगढ

अप्रार्थीगण.....

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :–

1– श्री अब्दुल सादिक प्रर्वतन अधिकारी पैराकार सरकार
2– श्री उत्तम गुरूबक्षानी अप्रार्थी संख्या

आदेश **दिनांक 26.07.2023**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.1.2015 को श्री राकेश पार्षद 35 एवं उपसभापति नगर परिषद किशनगढ द्वारा उक्त डीलर के द्वारा उपभोक्ताओ से अभद्र व्यवहार एवं वितरण में अनियमितता की शिकायत की जांच हेतु प्रर्वतन अधिकारी किशनगढ पिन्हारी चौक स्थित श्री अजीज मोहम्मद की दुकान पर पहुॅचे जहॉ श्री राकेश कांकडा एव अन्य अनेक उपभोक्ता मौजूद थे। इस बाबत अनेक उपभोक्ताओ ने डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार तथा असंसदीय भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया । डीलर की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण में माह जनवरी 2015 का 1190 लीटर केरोसीन का पूर्ण वितरण बता स्टॉक निल दर्शाया था किन्तु गोदाम में केरोसीन के भौतिक सत्यापन में 30 लीटर केरोसीन बरामद हुआ । यह 30 लीटर केरोसीन 6 जरीकेनो में प्रति जरीकेन 5–5 लीटर संग्रहित था। इस अधिशेष केरोसीन बाबत डीलर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका । नियमानुसार स्टॉक निल होने पर भी 30 लीटर केरोसी अधिशेष था अतः मौके पर मुझ प्रवर्तन अधिकारी द्वारा यह 30 लीटर केरोसीन मय 6 जरीकेन जब्त कर कब्जे राजं लिया गया । मौके पर निकटस्थ एफ.पी. एस डीलर श्री खेम चंद टांक एफ पी एस डीलर उ.मू.दु.सं. 29 को मौके पर बुलाकर यह केरोसीन मय जरीकेन अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द्व किया गया । इस प्रकार डीलर का यह कृत्य राज0 राज0 खाघान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5 एवं 17 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि ई.सी. एक्ट 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने के आदेश फरमावे।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करने का निवेदन करने पर उभय पक्षो को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि राशन विक्रेताओं द्वारा राजस्थान खाधान्न एव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 5 व 17 सी की अवहेलना की गई है। अतः कब्जे राज लिये गये 30 लीटर केरोसीन को राजसात कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें ।

अप्रार्थी ने अपने जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने केरोसीन आयल जो स्टॉक में था वह समस्त उपभोक्ताओ को वितरीत कर दिया गया था जो 30 लीटर केरोसीन बरामद किया गया है वह उपभोक्ताओ का ही है इसमें अप्रार्थी की कोई बदनीयती नही थी उपभोक्ताओ के द्वारा जो पीपिया लाई गई थी वे नीचे से लीक हो रही थी और उनका केरोसीन अप्रार्थी ने अपने यहा रखी पीपियों में रख दिया और उपभोक्ताओ के दूसरे दिन आने की बात कह कर चले गए । अतः जब्त केरोसीन अप्रार्थी को दिलाने के आदेश प्रदान करावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्दमौका एवं जप्ती रिपोर्ट से प्रकट आया कि राशन विक्रेताओं द्वारा रेकार्ड में फर्जी इन्द्राजात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत मात्र राशन कार्ड पर वितरित होने वाले केरोसीन को स्वंय के लाभ हेतु बचाकर इसे उॅचें दामों में बेचने का प्रयास किया था। उक्त राशन विक्रेताओं द्वारा राजस्थान खाधान्न एव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 5 व 17 सी की अवहेलना की गई है। अतः कब्जे राज लिये 30 लीटर केरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत राजसात किये गये केरोसीन को जिला रसद अधिकारी अजमेर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत उचित मूल्य दुकानदार से वितरित कराया जाकर प्राप्त राशि बाद गुजरने मियाद राजकोष में जमा कराई जावे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर